2013:CGHC:1000

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

---

एकल पीठ : माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

---

**विविध अपील (सी) संख्या 147/2013**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अपीलार्थीगण** : रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**बनाम**

**प्रत्यर्थी गण** : श्रीमती सरिता बाघमार और अन्य

**मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173**

**के तहत विविध अपील**

---

**उपस्थित :**

अपीलार्थियों की ओर से श्री सौरभ शर्मा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ।

**प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 की ओर से श्री शिखर शर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।**

**प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के लिए कोई नहीं।**

**प्रत्यर्थी** क्रमांक 6 की ओर से श्री अविनाश सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

**प्रत्यर्थी** क्रमांक 7 के लिए कोई नहीं।

---

**निर्णय**

**(01/11/2013)**

1. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/यहां अपीलकर्ता ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एम.वी. अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें दावा प्रकरण संख्या 31/2009 में मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 05/11/2012 के अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा, दावा अधिकरण ने दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर 4,06,000/- की कुल राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित प्रदान की है।

2 इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**2.1** दावाकर्ता- श्रीमती सरिता बाघमार और अन्य, मृतक यादेंन्द्र बाघमार की पत्नी और बच्चे होने के नाते, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत प्रतिकर के लिए दावा याचिका, दावा प्रकरण संख्या 31/2009, दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया कि दिनांक 14/01/2009 को, एक जीप (दुर्घटना कारित करने वाला वाहन) जिसका पंजीकरण संख्या CG-04/ZD/9279 था, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 5/गोवर्धन साहू द्वारा तेजी एंव उतावलापूर्वक से चलाया जा रहा था, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 6/मोहम्मद इकबाल के स्वामित्व में था और अपीलकर्ता के पास बीमाकृत था, ने मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान दिनांक 18/01/2009 को उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना की तारीख को, मृतक की आयु लगभग 45 वर्ष थी और वह 18,000/- प्रतिमाह कमा रहा था। दावाकर्ताओं ने अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 से 7 से संयुक्त रूप से और अलग-अलग 42,62,000/- की राशि के प्रतिकर का दावा किया।

**2.2** प्रत्यर्थी क्रमांक 5 और 6/चालक और मालिक ने एक संयुक्त लिखित बयान दाखिल करके दावा याचिका का विरोध किया। उन्होंने दुर्घटना के तथ्य से इनकार किया और स्पष्ट

रूप से कहा कि प्रत्यर्थी क्रमांक 7-शैलेंद्र शर्मा दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के पंजीकृत मालिक थे।

**2.3** प्रत्यर्थी क्रमांक 7- शैलेंद्र शर्मा ने भी एक लिखित बयान दाखिल किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन प्रत्यर्थी क्रमांक 5-मोहम्मद इकबाल को बेच दिया गया था और उसके नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया था।

**2.4** अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक लिखित बयान भी दायर किया जिसमें यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना की तारीख पर चालक के पास वाहन चलाने का वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था और वाहन को बीमा पॉलिसी के नियमों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, इसलिए, बीमा कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**2.5** दावा न्यायाधिकरण ने साक्ष्य की बारीकी से जांच के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:

(i) मृतक-यादेंद्र बाघमार को गंभीर चोटें आईं और उसके बाद प्रत्यर्थी क्रमांक 5 द्वारा वाहन को तेजी एंव उतावलापूर्वक से चलाने के कारण हुई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई।

(ii) दुर्घटना की तारीख पर, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक के पास वाहन चलाने का एक वैध और प्रभावी लाइसेंस था और बीमा पॉलिसी के किसी भी नियम का उल्लंघन स्थापित नहीं हुआ था।

(iii) दावा अधिकरण ने दावाकर्ताओं को 4,06,000/- का कुल प्रतिकर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रदान किया।

(iv) दावा अधिकरण ने प्रत्यर्थी क्रमांक 7/शैलेंद्र शर्मा को उनके दायित्व से दोषमुक्त कर दिया, यह मानते हुए कि भले ही दुर्घटना कारित करने वाला वाहन उनके नाम पर पंजीकृत था, लेकिन इसे प्रतिवादी संख्या 6/मोहम्मद इकबाल को बेच दिया गया था, और दुर्घटना की तारीख पर प्रत्यर्थी क्रमांक 5/गोवर्धन साहू द्वारा चलाया जा रहा था।

(v) दुर्घटना की तारीख पर, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अपीलकर्ता के पास विधिवत बीमाकृत था, इसलिए, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 और 6/ दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक और मालिक दावाकर्ताओं को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थे

3. श्री सौरभ शर्मा, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता, यह निवेदन किया है कि दावा अधिकरण द्वारा यह तथ्य अभिलिखित किया गया निष्कर्ष कि चालक के पास एक वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी, विकृत और अभिलेख के प्रतिकूल है। श्री शर्मा आगे यह निवेदन किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन बीमा पॉलिसी के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, इसलिए अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को प्रतिकर का भुगतान करने के अपने दायित्व से उन्मोचित किया जाए। श्री शर्मा आगे यह भी निवेदन किया है कि चूंकि चालक को धारा 304-ए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, श्री शिखर शर्मा, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4/दावेदारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता और श्री अविनाश सिंह, प्रत्यर्थी क्रमांक 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया। उन्होंने निवेदन किया कि आपेक्षित अधिनिर्णय विधि के नियमानुसार है और मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और दावा अधिकरण के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. दावेदारों ने दो गवाहों, अर्थात् सरिता बाघमार (आवेदक साथी -1) और वीरेंद्र श्रीवास्तव (आवेदक साथी -2) की जांच की है और अपने मामले के समर्थन में दस्तावेज़ (प्रदर्श पी/1 और पी/2) भी दायर किए हैं। प्रदर्श पी/1 क्षेत्राधिकार आपराधिक न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत प्रत्यर्थी क्रमांक 5/दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक के खिलाफ दायर अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र है। प्रदर्श पी/2 पंजीकरण प्रमाणपत्र है, जिससे पता चलता है कि मृतक यादेंद्र बाघमार एलोपैथी में एक चिकित्सा

व्यवसायी थे। प्रत्यर्थी  क्रमांक 5/ दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक ने भी अपने मामले के समर्थन में दस्तावेज़ (प्रदर्श डी/1 एंव डी/2) दायर किए।

7. प्रदर्श पी/1 का केवल एक सरसरी अवलोकन, जो प्रत्यर्थी  क्रमांक 5/दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक के खिलाफ दायर आरोप-पत्र की एक प्रति है, यह प्रदर्शित करता है कि दिनांक 10/02/2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत एक अपराध पंजीकृत किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी  क्रमांक 5/दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि यादेंद्र बाघमार की मृत्यु प्रत्यर्थी  क्रमांक 5/दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक के उतावलेपन और लापरवाही भरे कृत्य से हुई थी। इस आशय का निष्कर्ष दावा न्यायाधिकरण द्वारा भी दर्ज किया गया है। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक/ प्रत्यर्थी क्रमांक 5 ने गवाह के कटघरे में प्रवेश किया और कहा कि उसके वाहन से ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उसे दिनांक 29/07/2009 को प्रदर्श डी/2 के तहत धारा 304-ए भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। प्रदर्श डी/2 दोषमुक्त होने का निर्णय है, जिससे पता चलता है कि आपराधिक न्यायालय ने माना है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन शामिल था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी क्रमांक 5/गोवर्धन साहू के दोषमुक्त होने का दावा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि प्रत्यर्थी क्रमांक 5/गोवर्धन साहू ने उतावलेपन और लापरवाही से दुर्घटना कारित करने वाला वाहन चलाया और दुर्घटना का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप यादेंद्र बाघमार की मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रदर्श डी/2, दोषमुक्त करने के निर्णय का मात्र अवलोकन से पता चलता है कि दोषी वाहन/ क्रमांक 5 के चालक को अभिलेख पर पर्याप्त सबूतों के अभाव के कारण आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है. यह कानून का सुस्थापित प्रस्ताव है कि आपराधिक मामलों में दर्ज किए गए साक्ष्य और उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का उपयोग आपराधिक मामलों में नहीं किया जाएगा. दावा मामलों में, दोषमुक्त होने का कुछ असर या प्रासंगिकता हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में इस तथ्य का प्रमाण नहीं होगा कि चालक लापरवाह नहीं था. आपराधिक मामलों में दर्ज किए गए साक्ष्य दावा मामलों के उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं, क्योंकि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पार्टी की पीठ के पीछे दर्ज किए गए किसी भी साक्ष्य का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि आपराधिक न्यायालय में चालक को धारा 304-ए भारतीय दंड

संहिता के तहत आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय अंतिम नहीं है. यह दावेदारों के लिए खुला है कि वे इस खोज से अलग साक्ष्य पेश करें कि दुर्घटना चालक के उतावले और लापरवाह वाहन चालन के परिणामस्वरूप हुई थी क्योंकि दावा मामले में लापरवाही साबित करने के लिए आवश्यक लापरवाही की डिग्री आपराधिक मामले में लापरवाही साबित [1]करने के लिए आवश्यक कानून से अलग है. **'बिमला देवी और अन्य बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और अन्य[1]** में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि दावेदारों को संभावना की प्रबलता के टचस्टोन पर अपना मामला स्थापित करने की आवश्यकता है और युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

> 15. इस प्रकृति की स्थिति में, न्यायाधिकरण ने मामले का समग्र दृष्टिकोण सही लिया है। यह ध्यान में रखना आवश्यक था कि दावों द्वारा किसी विशेष बस द्वारा किसी विशेष तरीके से दुर्घटना के सख्त प्रमाण संभव न हों। दावेदारों को केवल संभावना की प्रधानता के आधार पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता था। उक्त उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय को दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित संबंधित कहानियों को ध्यान में रखना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **शब्बीर अहमद और अन्य बनाम एम.पी.एस.आर.टी.सी. भोपाल और अन्य के मामले[2] में**, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आपराधिक मामले में चालक के दोषमुक्त होने के तथ्य पर विचार करते हुए माना कि चालक का दोषमुक्त होना ही उसकी देनदारी से उसे दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> "यह तथ्य कि वाहन का चालक आपराधिक मामले में दोषमुक्त हो गया था, प्रत्यर्थी के रूप में उसकी देनदारी से उसे दोषमुक्त करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं था।

[1] (2009) 13 एससीसी 530
[2] एआईआर 1984 एम.पी. 173
[3] [जेटी 2011(12) एससी 233]

दावा प्रकरणों में, दोषमुक्त होने का कुछ असर या प्रासंगिकता हो सकती है, लेकिन वह अपने आप में इस तथ्य का प्रमाण नहीं होगा कि चालक लापरवाह नहीं था।"

10. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शीला दत्ता और अन्य के मामले[3] में**, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावा याचिका पर विचार करते हुए इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ प्रस्तावों को निकाला जिनमें से प्रस्ताव (ii), (v) और (vi) वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत होंगे और, इसलिए, उन्हें यहां नीचे उद्धृत किया जा सकता है:

"(ii) अभिवचनों के नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं क्योंकि दावेदार को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में, जहां न्यायाधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाता है, वहां कोई अभिवचन नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) हालांकि न्यायाधिकरण एक दावे पर न्यायनिर्णय करता है और प्रतिकर का निर्धारण करता है, यह एक विरोधी मुकदमेबाजी के रूप में ऐसा नहीं करता है।"

(vi) अधिकरण ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए आवश्यक है जैसी वह उचित समझे। यह जांच में सहायता करने के लिए, जांच के मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में अभिनिर्धारित किया:–

[2]"हमने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया है कि अधिकरण द्वारा दिया गया एक अधिनिर्णय,

---

[24] जेटी 2013 (13) एससी 217

विवाद करने वाले पक्षों के बीच एक विरोधी न्यायनिर्णयन के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि दुर्घटना होने पर, उचित जांच के बाद, क़ानून के अनुसार प्रतिकर का एक सांविधिक निर्धारण है।"

11. हाल ही में **दुलसीना फर्नांडीस और अन्य बनाम जोआकिम जेवियर क्रूज़ और अन्य**[4] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में ड्राइवर की दोषमुक्ति के विवादक पर विचार किया है और दावा-मामले के संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"8. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश की अनुमति पर स्थापित एक अपील की सुनवाई करते हुए सामान्यतः विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की पुनः सराहना नहीं करेगा, हम वर्तमान मामले में ऐसा करने से बचते हैं, हालांकि हम यह देख सकते हैं कि विद्वान न्यायाधिकरण सीडब्ल्यू-3 और 5 के साक्ष्य को निरस्त करने में पूरी तरह सही नहीं था। पहले प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करने में विद्वान न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के संबंध में भी यही स्थिति है। हालांकि, मामले की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो अधिक मूलभूत हैं और, इसलिए, उन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीडब्ल्यू-2, जो उस समय मुख्य पुरी पुलिस स्टेशन के मुख्य आरक्षी के रूप में काम कर रहा था, ने गवाही दी थी कि दुर्घटना के संबंध में पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और जांच के बाद, उसे आरोप-पत्रित किया गया और विचारण के लिए भेजा गया। हालांकि, बार में यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले प्रत्यर्थी को उक्त मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह तथ्य है कि पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर, प्रथम दृष्टया, लापरवाही दिखाने वाली सामग्री उसे विचारण के लिए भेजने हेतु पाई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई थी। सीडब्ल्यू-2 के साक्ष्य से यह भी पता चला कि मृतक का चिकित्सकीय परीक्षण यह पता लगाने के लिए नहीं किया गया था कि क्या उसने शराब का सेवन किया था और इसलिए शराब के प्रभाव में स्कूटर चला रहा था। वास्तव में, सीडब्ल्यू-2 के अनुसार, वह घटना के 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गया था। अपनी प्रति-परीक्षा में, सीडब्ल्यू-2 ने विशेष रूप से इनकार किया था कि मृतक द्वारा चलाए जा रहे स्कूटर ने पिक-अप वैन को टक्कर मारी थी, जो स्थिर थी, यानी सड़क पर खड़ी थी। सीडब्ल्यू-2 द्वारा अपनी गवाही के दौरान दिए गए बयानों का मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर काफी महत्व है, अर्थात्, क्या मृतक शराब के प्रभाव में स्कूटर चला रहा था और क्या दुर्घटना के कारण उसकी ओर से कोई लापरवाही थी। सीडब्ल्यू-2 के साक्ष्य के उक्त पहलुओं को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में नहीं लाया गया या उस पर कोई विचार नहीं किया गया। साथ ही, यह दृष्टिकोण लेना संभव है कि सीडब्ल्यू-2 का साक्ष्य, यदि ठीक से पढ़ा और विचार किया जाए, तो विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के विपरीत निष्कर्ष निकाल सकता है, अर्थात्, दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण हुई थी। उच्च न्यायालय ने विद्वान न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में उपरोक्त कमियों को ध्यान देनें में और उन्हें सुधारने में विफल रहने के कारण, हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामला हमारे हस्तक्षेप के लिए एक उपयुक्त मामला है। हम तदनुसार विद्वान न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को अपास्त करते हैं जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादक क्रमांक 3 और 4 के संबंध में पुष्टि की गई थी और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि दुर्घटना पहले प्रत्यर्थी द्वारा पिक-अप वैन तेजी एंव उतावलेपन से चलाने के कारण हुई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त स्थापित कानून के प्रस्ताव को देखतं हुऐ इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आपराधिक मामले में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की दोषमुक्ति का दावा न्यायाधिकरण

द्वारा दर्ज की गई लापरवाही के निष्कर्ष पर कोई असर या प्रासंगिकता नहीं होगी। दावा न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि चालक के पास दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी लाइसेंस था और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बीमा पॉलिसी के नियमों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और जैसे कि, मैं एतद्वारा दावा न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष की पुष्टि करता हूँ।

13. परिणामस्वरूप, अपील पूरी तरह से गुण–दोष से रहित पाई जाती है। यह विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

हस्ताक्षरित/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधिपति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**Translated By ......**Pritika Pandya

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**